

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

**\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित**

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-12/04/18

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें, उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-090- सचिवालय, उप शीर्ष-0005-नगर विकास एवं आवास विभाग, विपत्र कोड सं०- 48-2251000900005 के अन्तर्गत मोटर गाड़ी-कार्यालय विषय शीर्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त कुल ₹68.00 लाख (अड़सठ लाख रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष-2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उप शीर्ष-0005-नगर विकास एवं आवास विभाग, विपत्र कोड सं०- 48-2251000900005 के अन्तर्गत मोटर गाड़ी-कार्यालय विषय शीर्ष में प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक- 12.04.2018 की बैठक में 05 वाहनों के क्रय की स्वीकृति के आलोक में उपर्युक्त वर्णित विपत्र कोड में कुल ₹68.00 लाख (अड़सठ लाख रु०) मात्र पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त किया गया है। पुनर्विनियोग की स्वीकृति विभागीय पत्रांक- 1368, दिनांक- 26.06.2018 द्वारा महालेखाकार, बिहार को संसूचित है। तदनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त कुल ₹68.00 लाख (अड़सठ लाख रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

क्र०सं०	बजट शीर्ष 2251 का विषय शीर्ष	बजट उपबंध	कुल स्वीकृत राशि (राशि रु० में)
1	2	3	4
1	0005.51.01-मोटर गाड़ी-कार्यालय	68,00,000.00	68,00,000.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹68.00 लाख (अड़सठ लाख रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-4 में स्वीकृत राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि, व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय।

3. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

4. स्वीकृत राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में की जायेगी।

5. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०- 48-2251000900005 मांग सं०-48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/समूह का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2019 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 7न०वि०वाहन क्रय-16/17 के पृष्ठ सं०-26...../टि० पर दिनांक-9.7.18 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-27...../टि० पर दिनांक-10.7.18 को प्राप्त है।

8. इस स्वीकृत्यादेश की प्रति वित्त (बजट शाखा) विभाग, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-7न०वि०वाहन क्रय-16/17 23 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-11.07.18

प्रतिलिपि:-वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02, 07 एवं 11, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंधक, आई०टी० कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

सरकार के विशेष सचिव।